भारत सरकार

योजना मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या **3280**

दिनांक 23.03.2022 को उत्तर देने के लिए

परियोजना प्रस्ताव

3280. **श्री बी. वाई. राघवेन्द्र:**
डॉ. उमेश जी. जाधव:
श्री कराडी सनगन्ना अमरप्पा:

क्या **योजना मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान सरकार के अनुमोदन के लिए कर्नाटक से प्राप्त परियोजना प्रस्तावों की संख्या कितनी है;

(ख) स्वीकृत किए गए परियोजना प्रस्तावों की संख्या कितनी है और लंबित पड़े प्रस्तावों की संख्या कितनी है; और

(ग) उक्त लंबित परियोजनाओं को कब तक मंजूरी मिलने की संभावना है?

उत्तर

राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय;
राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) योजना मंत्रालय एवं
राज्यमंत्री (कारपोरेट कार्य मंत्रालय)

(राव इंद्रजीत सिंह)

(क) से (ग) वर्ष 2014-15 तक पूर्ववर्ती योजना आयोग/नीति आयोग राज्य सरकारों से प्राप्त परियोजना प्रस्तावों को एकबारगी अतिरिक्त केंद्रीय सहायता (ओटीएसीए)/विशेष आयोजना सहायता (एसपीए) के तहत अनुमोदन/संस्वीकृति देता था और निधि जारी करने हेतु वित्त मंत्रालय को सिफारिश करता था। नीति आयोग की स्थापना के पश्चात 14वें वित्त आयोग द्वारा केंद्रीय कर की निवल प्राप्ति में राज्यों के हिस्से को 32% से बढ़ाकर 42% करने के माध्यम से राज्यों की वर्धित निधि अंतरण संबंधी की गई सिफारिशों को स्वीकार करते हुए वर्ष 2015-16 से ऐसे परियोजना प्रस्तावों को अनुमोदित/स्वीकृत करने की प्रथा को समाप्त कर दिया गया है, जिसके परिणामस्वरूप राज्यों को किए जाने वाले निधि अंतरण में वृद्धि हुई है। नीति आयोग योजना आयोग के हित में परवर्ती है। यह सरकार का थिंक टैंक है जो विकासात्मक प्रक्रिया में महत्वपूर्ण निदेशात्मक और कार्यनीतिक इनपुट प्रदान करता है। केंद्रीय/राज्य परियोजनाओं का अनुमोदन अब नीति आयोग के दायरे में नहीं आता है।

****